

मणिपुर में मेइती समुदाय और आदिवासी कुकी तथा जो समुदायों के बीच लगातार चल रही सजातीय हिंसा के विषय में हम सब अत्यंत चिंताग्रस्त हैं। हमारी मांग है कि इस हिंसा को तुरंत रोका जाए, क्योंकि इसके कारण लोगों के जीवन, आजीविकाओं और संपत्तियों की हानि हो रही है तथा लोगों के बीच दहशत फैल रही है।

अप्रैल 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश जिसमें राज्य सरकार को सलाह दी गई कि मेइती समुदाय (जिसके सदस्य अब या तो अन्य पिछड़ी जाति के हैं, या कुछ मामलों में अनुसूचित जाति श्रेणी में आते हैं) को अनुसूचित जनजाति की मान्यता दे दी जाए - यही आदेश इस हिंसा की शुरुआत का कारण बन गया। इसके अनुसार मेइती समुदाय को आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित भूमि का अधिकार मिल जाएगा। मई के महीने में जगह-जगह हिंसा भड़की जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में नागरिक युद्ध की स्थिति बन गई है, चूंकि दोनों समुदाय हथियारों से लैस हैं, और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो गई है। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि नागरिकों के खिलाफ सुरक्षा दल, पुलिस और आर्मी अभूतपूर्व क्रूरता और व्यापक अत्याचार करती आ रही है।

भाजपा और केंद्र तथा राज्य में उसकी सरकारों की विभाजनकारी राजनीति के कारण आज मणिपुर जल रहा है। और उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस नागरिक युद्ध को रोकें, इससे पहले कि और लोगों की जानें चली जाएँ। यह हिंसा पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर गंभीर प्रभाव डाल रही है, 50,000 से भी अधिक लोग लगभग 300 रेफ्यूजी कैम्पों में रह रहे हैं और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं।

स्थिति तो इस वर्ष जनवरी से ही गंभीर हो चली थी, जब भाजपा सरकार ने आरक्षित वन क्षेत्रों से 'गैर-कानूनी आप्रवासियों' को हटाने के प्रयास शुरू किए, जो उनके अनुसार मणिपुर में 1970 के दशक के बाद से रहने लगे थे। राज्य सरकार ने चुरचंदपुर, कंगपोकपी और टेंगनुपाल जिलों से लोगों को हटाना शुरू किया और आदिवासी वन निवासियों को 'अतिक्रमण करने वाले' घोषित कर दिया।

देश भर में अपनी कार्यप्रणाली की विशेषता के अनुरूप, भाजपा एक बार फिर अपने स्वयं के राजनीतिक लाभ के लिए समुदायों के बीच सदियों पुराने जातीय तनाव को बढ़ावा दे रही है। स्पष्ट रूप से, भाजपा की भूमिका राज्य में अपनी पैठ जमाने के लिए बल और ज़बरदस्ती का उपयोग करने में निहित है। दोनों समुदायों के सहयोगी होने का ढोंग करते हुए, यह केवल उनके बीच ऐतिहासिक तनाव की खाई को बढ़ा रही है, और उन्होंने आज तक समाधान की दिशा में किसी संवाद का कोई प्रयास नहीं किया है।

केंद्र और राज्य दोनों सरकारें लोकतांत्रिक संवाद, संघवाद और मानवाधिकारों की सुरक्षा की अवधारणाओं को नष्ट करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को हथियार बना रही हैं। वर्तमान परिदृश्य में, अराम्बाई तेंगगोल और मेइतेई लेपुन जैसे सशस्त्र मेइती बहुसंख्यक समूह कूकियों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, जिसमें नरसंहार संबंधी घृणास्पद भाषण और दंडमुक्ति के सर्वोच्चतावादी प्रदर्शन शामिल हैं। इनमें से पहला समूह धार्मिक पुनर्जागरणवादी समूह है जो चाहता है कि मेइती सनमही परंपरा में "वापस" आ जाएँ; और दूसरा समूह स्पष्ट रूप से हिन्दू सर्वोच्चतावादी सोच रखता है। मुख्यमंत्री बिरेन सिंह इन समूहों से नज़दीकी संबंध रखते हैं।

दोनों समूह कुकी समुदाय को "अवैध बाहरी" और "नार्को आतंकवादी" मानते हैं। एक प्रेस इंटरव्यू में मेइतेई लेपुन के मुखिया सार्वजनिक स्तर पर यह कहने से नहीं कतराए कि मेइतेई द्वारा दावा किए गए क्षेत्र में रहने वाले कूकियों को "साफ कर देंगे"। उन्होंने कूकियों को "गैर-कानूनी", "बाहरी"; "परिवार का सदस्य नहीं हैं"; मणिपुर के आदिवासी नहीं हैं" और मणिपुर में "किरायेदार" बताया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने खुद एक कुकी मानवाधिकार कार्यकर्ता को "म्यांमार निवासी" बताया था; जो कि एक तरह से मेइतेई समुदाय को अशान्ति के कारण म्यांमार से आने वाले रेफ्यूजियों से खतरा होने के प्रचार को हरी झंडी दिखाता है। चूंकि यह रेफ्यूजी उन्हीं आदिवासी समुदायों से हैं जो मणिपुर में भी रहते हैं, मेइतेई बहुसंख्यक समूहों ने यह मुद्दा उठाया है कि आदिवासियों की संख्या बढ़ने से मेइतेई बहुसंख्यकों को खतरा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री द्वारा असम एनआरसी अभ्यास के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय को "अवैध" बताने वाली यह भाषा इस्तेमाल की गई थी। आज यही भाषा पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य में फैल रही है, और भाजपा इस नफ़रत, हिंसा और विदेशियों के प्रति घृणा के उन्माद की आग को हवा दे रही है।

गौर देने की बात है कि कुकी सशस्त्र दलों ने 2022 विधान सभा चुनावों में भाजपा के लिए वोट इकट्ठे किए थे, और मणिपुर विधान सभा के वर्तमान दस कुकी विधायकों में से सात भाजपा विधायक हैं। कुकी दलों का प्रचार भी भाजपा की किताब के पन्नों पर आधारित है, जिसमें ऐसी मिसालें दी जा रही हैं जहां कुकी नेताओं ने भारत के हितों का साथ दिया, और वे मेइतेईयों को भारत-विरोधी करार कर रहे हैं। समाचारों से पता चलता है कि वहाँ चल रही हिंसा में मारे गए लोगों में से अधिकांश कुकी समुदाय के हैं। खबर है कि 200 से अधिक कुकी चर्च, गोदाम और घर जला दिए गए हैं।

अत्यंत दुख की बात है कि अफ़वाहें, जिन्हें आज के दिन फेक न्यूज कहा जाता है, का रणनीतिक उपयोग करके समुदायों के बीच हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है और यह हिंसा औरतों के लिए और ज़्यादा खतरा बढ़ा देती है। खबरों के अनुसार, बहुसंख्यक मेइतेई समुदाय ने ऐसे ही फेक न्यूज फैलाई कि कूकियों ने मेइतेई औरतों का बलात्कार किया है और इसके आधार पर कुकी-जो औरतों की हत्या और बलात्कार किया जा रहा है। खबरे आ रही हैं कि उन्माद भरी भीड़ नारे लगते चलती है 'बलात्कार करो, प्रताड़ित करो' - इसकी तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है।

हमारी मांग है कि हिंसा के इस तांडव पर तत्काल रोक लगाई जाए, और साथ ही जैसे ही यह हिंसा रुकती है, ज़रूरी है कि स्वतंत्र, गैर-दलीय नागरिक सदस्य इस क्षेत्र में जाकर जीवित बचे और शोक संतप्त लोगों से मिलें; हत्याओं और बलात्कारों की पुष्टि करने की कोशिश करें; और अपने परिजनों, घरों और चर्चों को खोने के दुख से आघात का सामना कर रहे लोगों को एकजुटता और सहयोग दें।

देश के चिंतित नागरिकों की ओर से, हम मांग करते हैं कि:

- प्रधान मंत्री को मणिपुर की इस स्थिति पर चुप्पी तोड़ते हुए इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी
- तथ्यों को स्थापित करने के लिए अदालत की निगरानी में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए, और न्याय के लिए ज़मीन तैयार करते हुए, मणिपुर के समुदायों को अलग करने वाले घावों को ठीक करने के प्रयास किए जाएँ ताकि विभाजन और नफ़रत की भावना को कम किया जा सके।
- सरकारी और गैर-सरकार तत्वों द्वारा यौनिक हिंसा के सभी मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किया जाए, जैसा कि वर्मा आयोग की संस्तुति में कहा गया है कि 'संघर्ष क्षेत्रों में यौन अपराधों के दोषी कर्मियों पर सामान्य आपराधिक कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए'
- शांति कमिटियाँ लाने से पहले स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास किए जाएँ
- पलायन के लिए मजबूर हुए लोगों को सरकार द्वारा राहत का प्रावधान और उनके गांवों में उनकी सुरक्षित वापसी की गारंटी; उनके घरों और जीवन का पुनर्निर्माण करवाया जाए। जिन लोगों ने परिजनों को खोया है, घायल होने वालों और घर, अनाज, पशुधन आदि का नुकसान हुए लोगों के लिए अनुग्रह मुआवज़े का प्रावधान किया जाए। वापसी, पुनर्वास और मुआवज़े की इस प्रक्रिया की देखरेख सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा की जाए, जो इस क्षेत्र को करीब से जानते हैं, इस पैनल को संभवतः उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।